न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 साधना शर्मा, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या – 34/2024

1. शमशेर पुत्र हुरमत
2. भूरा पुत्र नत्थी
3. खिलौनी पुत्र नत्थी

समस्त जातिगण नट मुसलमान निवासीगण नटपुरा, मौजा खेडा तहसील व जिला धौलपुर

---- ------------प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर

----- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र वास्ते इन्द्राज दुरूस्ती अधीन धारा–136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थितिः– श्री रिपुदमन सिंह, एडवोकेट प्रार्थी की ओर से

दिनांक – 29.11.2024

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र वास्ते इन्द्रांज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण गांव नटपुरा मौजा सरानी तहसील व जिला धौलपुर के निवासी है एंव प्रार्थीगण जाति से नट मुसलमान हैं। प्रार्थीगण मुस्लिम धर्म के सभी रीति रिवाज फॉलो करते है। खाता संख्या 299 में दर्ज खसरा नम्बरान 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2826, कुल किता 9 रकवा 3.0982 है0 खाता संख्या 300 में दर्ज खसरा नम्बरान 2810, 2811, 2813, 2827, 2827/2907, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2836, 2837, 2838, 2839, 2847, 2848, 2849, 2853, 2854, 2856, 2860, 2861, 2862, 2863, कुल किता 26 रकवा 6.9674 है0 वाके ग्राम खेडा तह. व जिला धौलपुर में प्रार्थी संख्या 1 शमसेर वहिस्सा 73/2394 भाग, प्रार्थी संख्या 2 भूरा वहिस्सा 1/96 भाग तथा प्रार्थी संख्या 3 खिलौनी वहिस्सा 1/96 भाग के खातेदार काश्तकार है एंव इसी हैसियत से मौके पर काबिज है। प्रार्थीगण का धर्म मुसलमान है एंव जाति नट मुसलमान है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की जाति सहवन से मात्र नट दर्ज कर दी गई है। प्रार्थीगण मुस्लिम धर्म के अनुयायी है एंव अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते है। प्रार्थीगण के पढने वाले बच्चो को एंव अन्य सरकारी कार्यो के लिए अल्प संख्यक जाति के जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होने पर राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की जाति मात्र नट दर्ज होने से उनको अल्पसंख्यक जाति का होने का प्रमाण पत्र जारी नहीं करते है। प्रार्थीगण ने उक्त आराजीयात के रिकॉर्ड के बावत कम्प्यूटर जमाबंदी निकलवाने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थीगण की जाति राजस्व रिकॉर्ड में नट लिखी हुई है। नट मुसलमान दर्ज नही है। इसके बाद प्रार्थीगण ने अप्रार्थी से उक्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करने हेतु निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी ने राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की जाति नट दर्ज

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

करने से इन्कार कर दिया। उपरोक्त परिस्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की जाति नट मुसलमान दर्ज किया जाना न्यायसंगत एंव आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकॉर्ड खाता संख्या 299 एंव 300 ग्राम खेडा पटवार हल्का सरानीखेडा में प्रार्थीगण की जाति नट मुसलमान दुरूस्त किये जाने के आदेश पारित किए जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार धौलपुर को नोटिस जारी किए गए एंव रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। अप्रार्थी तहसीलदार धौलपुर के पत्रांक 1792 दिनांक 02.07.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थीगण ग्राम खेडा के मजरा नटपुरा के मूल निवासी है। प्रार्थीगण जाति से नट मुसलमान है तथा मुसलमान धर्म के सभी रीति–रिवाजों का पालन करते है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के विवादित आराजी में प्रार्थीगण की जाति मात्र नट दर्ज है। नटपुरा के मजमे आम में मौके पर जांच कर प्रार्थीगण को गैर नट (मुसलमान) होना बताया है।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दुहराते हुए प्रार्थीगण की प्रकरण में विवादित आराजी में जाति नट मुसलमान दर्ज करने के आदेश तहसीलदार धौलपुर को दिए जाने हेतु कथन किया। बहस सुनने उपरान्त तहसीलदार धौलपुर की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार धौलपुर ने रिपोर्ट में प्रार्थीगण की जाति गैर हिन्दू (मुसलमान) होना बताया है। परन्तु जाति के साक्ष्य स्वरूप कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की जाति कभी नट मुसलमान दर्ज रही हो। धारा 136 एलआर एक्ट के तहत राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटियों को सुधारा जा सकता है। हस्तगत प्रकरण राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि का न होकर जाति बदलवाने का।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआर एक्ट के तहत पोषणीय नही है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर। नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)